न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

(लोकेश कुमार गौतम, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या:– 56/2016

प्रविष्टि दिनांक:– 03–05–2013

तोफीक अहमद पुत्र अब्दुल रज्जाक जाति मुसलमान निवासी मालपुरा जिला टोंक (राज.)
..... अपीलाण्ट

बनाम

तहसीलदार मालपुरा जिला टोंक (राज0)
..... रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार मालपुरा
दिनांक 03–09–2015 मिसल संख्या 370/2015

उपस्थितः (1)श्री जितेन्द्र कुमार जैन, अभिभाषक अपीलाण्ट
(2)श्री जुगनू शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 की ओर से

निर्णय दिनांक 17–06–2016

1– संक्षेप में अपील का सार इस प्रकार है कि तहसीलदार मालपुरा ने उनके आदेश दि0 03–09–2015 द्वारा ग्राम मालपुरा तहसील मालपुरा के खसरा नम्बर 5331/1 रकबा 11.04 बीधा में से 6–00 बीघा भूमि किस्म बारानी 3 पर बाजरा व ग्वार की फसल काश्त कर अपीलाण्ट द्वारा सम्वत 2072 में किये गये अतिक्रमण को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर उक्त आराजी से बेदखल करते हुए 300/–रू0 पेनल्टी आरोपित की है तथा तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया है। इस निर्णय को विधि विधान एवं तथ्यों के विपरीत मानते हुए निरस्त किये जाने हेतु यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

2– अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन प्रकरण को मंगवाया गया।

3– अपीलाण्ट ने सबूत दस्तावेजो में नकल निर्णय तहसीलदार मालपुरा दि0 03.09.2015 की प्रमाणित प्रति एवं पेनल्टी रसीद, नकल खसरा परिवर्तनशील की फोटो प्रति प्रस्तुत की है।

4– हमने उभय पक्षीय बहस को सुना। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट का कथन है कि पटवारी हल्का ने अपीलाण्ट के विरूद्व उक्त भूमि के संबंध में गलत रूप से एकतरफा में रिपोर्ट पेश की है, अपीलाण्ट के विरूद्व पूर्व में बेदखली का कोई निर्णय या साक्ष्य अस्तित्व में नहीं है, पटवारी के बयानो में पूर्व में निर्णय की कोई प्रतिलिपी प्रदर्शित नहीं करवायी है जिससे पश्चातवर्ती का निर्णय गलत रूप से पारित किया गया है। अपीलाण्ट को समुचित सुनवाई का अवसर नहीं दिया, अपीलाण्ट पर व्यक्तिगत नोटिस तामील नहीं हुआ, जिस दिन नोटिस दिया गया था उसी दिन छपे हुए फार्म पर खाली सीनो की पूर्ति करते हुए निर्णय कर दिया, अपीलाण्ट का विवादित भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं था इसके बावजूद भी गलत रूप से निर्णय पारित कर दिया जो चलने योग्य नहीं है। अतः

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

F 54/16

-2-

अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जावे।

5. राजकीय अभिभाषक का कथन है कि अपीलाण्ट द्वारा पूर्व में सम्वत 2058 में भीं इसी विवादित भूमि पर कब्जा कर अतिक्रमण किया था। सम्वत 2072 में पुनः इसी भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है जो बयान पटवारी हल्का एवं नकल खसरा परिवर्तनशील स0 2058 से पश्चातवर्ती अतिक्रमी सिद्व है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार मालपुरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.09.15 उचित है एवं अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य है।

6. हमने उभयपक्षीय बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का मालपुरा ने अपीलाण्ट द्वारा सम्वत 2072 में ख0नं0 5331/1 रकबा 11.04 बीघा में 6.00 बीघा भूमि बा0 III वाके ग्राम मालपुरा तह0 मालपुरा पर अनाधिकृत रूप से 3.00 बीघा में ग्वार एवं 3.00 बीघा में बाजरा की फसल काश्त कर किये गये अतिक्रमण पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। जिसके आधार पर तहसीलदार मालपुरा ने अपने निर्णय दिनांक 03.09.15 द्वारा अपीलाण्ट को विवादित भूमि से बेदखल करने, शास्ति कायम करने एवं सिविल कारावास की सजा का निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली कयसे अवलोकन से पाया गया कि निर्णय में यह अंकित नहीं किया है कि अपीलाण्ट को पूर्व में किस ख.नं0 की कितनी भूमि से पूर्व में कौन से वर्ष में किस मिसल नम्बर द्वारा कब बेदखल किया गया। पत्रावली में धारा 91 के नोटिस में किस वर्ष में भूमि पर अतिक्रमण करने या किस वर्ष में पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने के लिए नोटिस दिया जा रहा है का उल्लेख नहीं है, बयान पटवारी हल्का में भी अंकित नही है कि किस पश्चातवर्ती वर्ष में अतिक्रमण किया था व अपीलाण्ट को कब बेदखल किया गया है। भौतिक रूप से बेदखल करने के सम्बन्ध में निर्णय में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। निर्णय से यह सिद्व नहीं होता है कि अपीलाण्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है या उसे पूर्व में भौतिक रूप से बेदखल कर दिया गया हो। धारा 91 के नोटिस पर भी अपीलाण्ट की प्रोपर तामील नहीं करवाई है जिससे यह जाहिर होता है कि सिविल कारावास जैसी कठोर सजा देने से पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। उपरोक्त सभी तथ्यों से तहसीलदार मालपुरा द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः अपीलाण्ट को सुनकर निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

7. फलतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार मालपुरा का निर्णय दिनांक 03.09.2015 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार मालपुरा को इस आदेश से रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलाण्ट को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः विधिवत रूप से निर्णय पारित करें।

8. निर्णय आज दिनांक 17.06.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार गौतम)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक – राज0

Scanned by CamScanner